



## कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव के संबन्ध में समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों हेतु निर्गत दिशा निर्देश संबन्धी शासनादेश सं० 280/XXIV-C-4/25(01)2016 दिनांक 14 मार्च, 2020 के क्रम में संस्थान के शैक्षणिक, co-curricular एवं extra curricular कार्यक्रम (यथा कक्षाये, वर्कशॉप, कांफ्रेंस, सेमीनार, संगोष्ठी इत्यादि) दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित रहेंगे।

*Sevika*

निदेशक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिष्ठाता शैक्षिक।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश को समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों को सूचित करें।
3. डॉ० चन्द्र मोहन नेगी, समन्वयक, Workshop on Misteries of Physics।
4. डॉ० हेमन्त जोशी, समन्वयक, Workshop on Intellectual Property Right।
5. कुलसचिव।
6. श्री योगेश कोठारी को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश को समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों को सूचित करने के उद्देश्य से संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करे।

*Sevika*

निदेशक